संख्याः 192 / xxvii(7)स.शि.भ. / 2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–प्रमुख सचिव,
गृह,उत्तराखण्ड शासन।
2–सचिव,
कार्मिक,उत्तराखण्ड शासन
3–सचिव,वन,उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनःदिनांक 8 जुलाई,2009

विषयः–अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भारत सरकार के समान 'संतान शिक्षा भत्ता योजना' लागू किया जाना।

महोदय,

छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्णय लेते हुए केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए पूर्व से लागू संतान शिक्षा भत्ता तथा शिक्षा शुल्क की अलग–अलग सुविधाओं को विलीन करते हुए 'संतान शिक्षा भत्ता योजना' का कार्यान्वयन कार्मिक मंत्रालय के डी0ओ0पी0टी0 के कार्यालय ज्ञाप सं0 12011/03/2008– Estt.(Allowance) दिनांक 2 सितम्बर,2008 द्वारा किया गया है। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के डी0ओ0पी0टी0 के परिपत्र संख्या 20011/05/2008–AIS-II दिनांक 8–9–2008, के द्वारा सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कार्यालय सं0 12011/03/2008– Estt.(Allowance) दिनांक 2 सितम्बर,2008 द्वारा लागू 'संतान शिक्षा भत्ता योजना' अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए भी लागू होगी।

2– अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के भत्ते भारत सरकार के विभिन्न नियमों, शासनादेशों तथा परिपत्रों से विनियमित/शासित होते हैं। अतः अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भारत सरकार के समान 'संतान शिक्षा योजना' की सुविधा उक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित डी0ओ0पी0टी0 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 1–9–2008 से लागू लागू होगी।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
Alok Jain
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव(वित्त)।

संख्याः 192 (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. निदेशक,लेखा एवं हकदारी,उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के गृह,कार्मिक तथा वन अनुभाग ।
11. इरला बैंक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

No.12011/03/2008-Estt. (Allowance)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the September, 2008

OFFICE MEMORANDUM

Subject - Recommendations of the Sixth Central Pay Commission-implementation of decisions relating to the grant of Children Education Assistance and Reimbursement of Tuition Fee.

Consequent upon the decisions taken by the Government on the recommendations made by the Sixth Central Pay Commission and in supersession of all earlier orders on the subject of Children Education Allowance and Reimbursement of Tuition Fee, the President is pleased to issue the following instructions:-

(a) Children Education Allowance and Reimbursement of Tuition Fee which were hitherto payable separately will be merged and will henceforth be known as 'Children Education Allowance Scheme'.

(b) Under the Scheme of Children Education Allowance reimbursement can be availed by Government Servants upto to a maximum of 2 children.

(c) Reimbursement as indicated above will be applicable for expenditure on the education of school going children only i.e., for children from classes nursery to twelfth, including classes eleventh and twelfth held by junior colleges or schools affiliated to Universities or Boards of Education.

(d) Henceforth, the reimbursement of Children Education Allowance shall have no nexus with the performance of the child in his class. In other words, even if a child fails in a particular class, the reimbursement of Children Education Allowance shall not be stopped.

(e) Reimbursement for the following items can be claimed under this Scheme:

> Tuition Fee, admission fee, laboratory fee, special fee charged for agriculture, electronics, music or any other subject, Fee charged for practical work under the programme of work experience, fee paid for the use of any aid or appliance by the child, library fee, games/sports fee and fee for extra-curricular activities. This also includes reimbursement for purchase of one set of text books and notebooks, two sets of uniforms and one set of school shoes which can be claimed for a child, in a year.

(f) The annual ceiling fixed for reimbursement of Children Education allowance is Rs.12000.

(g) Under this scheme, reimbursement can be claimed once every quarter. The amount that can be claimed in a quarter could be more than Rs.3000, and in another quarter less than Rs.3000, subject to the annual ceiling of Rs.12000 per child being maintained.

(h) In case both the spouses are Government servants, only one of them can avail reimbursement under Children Education Allowance.

(i) Hostel subsidy will be reimbursed upto the maximum limit of Rs.3000 per month per child subject to a maximum of 2 children. However, both hostel subsidy and Children Education Allowance cannot be availed concurrently.

(j) The above limits would be automatically raised by 25% every time the Dearness Allowance on the revised pay structure goes up by50%.

2. In order to ensure that Government servants have no difficulty in claiming reimbursement, the procedure under this Scheme is being kept simple. Reimbursement should henceforth be made on the submission of original receipts on the basis of self-certification by the Government servant.

3. **These orders shall be effective from 1st September, 2008.**

4. Insofar as persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller and auditor General of India.

5. Hindi version will follow.

(Simmi R. Nakra)
Director(P&A)

To

All Ministries/Departments of the Government of India.

1. Office of the Comptroller & Auditor General of India/Controller General of Accounts, Ministry of Finance.
2. Secretaries to Union Public Service Commission/Supreme Court of India/Lok Sabha Sectt./Rajya Sabha Sectt./Cabinet Sectt./Central Vigilance Commission/President's Sectt./Vice-President's Sectt./Prime Minister's Office/Planning Commission/Central Information Commission.
3. All State Governments and Union Territories.
4. Governors of all States/ Lt. Governors of Union Territories.
5. Secretary, National Council (Staff Side), 13-C, Feroz Shah Road, New Delhi.
6. All Members of the Staff Side of the National Council of JCM/Departmental Council.
7. All Officers/Sections of the Department of Personnel & Training/Department of Pension & Pensioners Welfare.
8. Ministry of Finance, Deptt of Expenditure (E.II(B) Branch)
9. Official Language Wing (Legislative Deptt.), Bhagwan Das Road, New Delhi
10. Railway Board, New Delhi.
11. 200 Spare copies.

(Simmi R. Nakra)
Director(P&A)

सं0. 12011/03/2008-स्था(भत्ता)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 22 सितम्बर 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय : छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें - संतान शिक्षा सहायता प्रदान करने तथा शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति से संबंधित निर्णयों का कार्यान्वयन ।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप और संतान शिक्षा भत्ता तथा शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति विषय पर इससे पहले के सभी आदेशों को अधिक्रान्त करते हुए राष्ट्रपति निम्नलिखित अनुदेश जारी करती हैं :-

(क) संतान शिक्षा भत्ता तथा शिक्षा शुल्क जो अब तक अलग-अलग देय थे, विलीन कर दिए जाएंगे और अब से उन्हें संतान शिक्षा भत्ता योजना के रूप में जाना जाएगा ।

(ख) संतान शिक्षा भत्ता की इस योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी द्वारा अधिकतम दो बच्चों तक के लिए प्रतिपूर्ति ली जा सकती है ।

(ग) उपर्युक्त यथा निर्दिष्ट प्रतिपूर्ति केवल विद्यालय जाने वाले बच्चों की है शिक्षा पर होने वाले खर्च के संबंध में लागू होगी अर्थात् विश्वविद्यालयों या शिक्षा बोर्डों से संबद्ध जूनियर महाविद्यालयों या विद्यालयों द्वारा संचालित ग्यारहवीं और बारहवीं की कक्षाओं सहित नर्सरी से बारहवीं की कक्षाओं के बच्चों के लिए ।

(घ) संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति का अब से बच्चे की कक्षा या उसकी प्रफॉर्मेंस से कोई अन्तर्संबंधन नहीं रहेगा । अन्य शब्दों में, यदि कोई बच्चा किसी कक्षा विशेष में अनुत्तीर्ण भी हो जाए तो भी संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति को रोका नहीं जाएगा ।

(ङ.) इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित मदों के लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है:-

शिक्षा शुल्क, प्रवेश शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, कृषि, इलेक्ट्रानिक्स, संगीत या किसी अन्य विषय के लिए वसूल किया गया शुल्क, कार्य अनुभव कार्यक्रम के तहत व्यावहारिक कार्य हेतु वसूल किया गया शुल्क, बच्चे द्वारा किसी उपकरण या यंत्र के उपयोग के लिए भुगतान किया गया शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, खेल शुल्क तथा पाठेयत्तर गतिविधियों से संबंधित शुल्क । इसमें पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक्स का एक सेट, वर्दियों के दो सेट तथा विद्यालय जाने के लिए जूतों का एक सेट शामिल है जिनका एक बच्चे के लिए एक वर्ष में दावा किया जा सकता है ।

(च) संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति की वार्षिक अधिकतम सीमा 12000/- रूपए है ।

(छ) इस योजना के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति का दावा प्रत्येक तिमाही में एक बार किया जा सकता है । एक तिमाही में दावा की गई धनराशि 3000/-रूपए से अधिक हो सकती है तथा दूसरी तिमाही में 3000/-रूपए से कम हो सकती है बशर्ते कि वह प्रति बच्चा 12000/-रूपए की वार्षिक अधिकतम सीमा तक बनी रहे ।

(ज) यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवक हैं तो उनमें से केवल एक ही संतान शिक्षा भत्ता के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति ले सकता है ।

(झ) छात्रावास परिदान (सब्सिडी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम दो बच्चों तक की सीमा के अधीन प्रति बच्चा प्रतिमाह 3000/-रूपए की अधिकतम सीमा तक की जाएगी । तथापि, छात्रावास परिदान (सब्सिडी) और संतान शिक्षा भत्ता दोनों को साथ-साथ नहीं लिया जा सकता है ।

(ट) संशोधित वेतन ढांचा में जब भी महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा, उपर्युक्त सीमाओं में 25% की वृद्धि स्वत: हो जाएगी ।

2. यह सुनिश्चित करने के क्रम में कि सरकारी सेवकों को प्रतिपूर्ति का दावा करने में कोई कठिनाई न हो, इस योजना के तहत प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है । अब से सरकारी सेवक द्वारा स्वयं-अनुप्रमाणन के आधार पर मूल रसीदों के प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिपूर्ति कर दी जानी चाहिए ।

3. ये आदेश 1 सितंबर, 2008 से प्रभावी होंगे ।

4. जहां तक भारतीय लेखा-परीक्षा एवं लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

(सिम्मी आर. नाकरा)
निदेशक (पी. एंड ए)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक/लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय ।

2. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति का सचिवालय/उप-राष्ट्रपति का सचिवालय/प्रधानमंत्री का कार्यालय/योजना आयोग/केन्द्रीय सूचना आयोग के सचिव ।

3. सभी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र ।

4. सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल ।

5. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), 13-सी, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली ।

6. जे.सी.एम. की राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।

7. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।

8. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (ई.11(बी) शाखा)।

9. राजभाषा खंड (विधायी विभाग), भगवान दास रोड, नई दिल्ली ।

10. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।

11. 200 अतिरिक्त प्रतियाँ ।

(सिम्मी आर. नाकरा)
निदेशक (पी. एंड ए)

F. No. 20011/05/2008-AIS-II
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Deptt. of Personnel & Training

North Block, New Delhi 110001
Dated 8/9/2008

To

The Chief Secretaries of the States
Union Territories

Sub.: Recommendations of the Sixth Central Pay Commission – implementation of decisions relating to the grant of Children Education Assistance and Reimbursement of Tuition Fee.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the Office Memorandum no. 12011/03/2008-Estt. (Allowance), dated 2nd September, 2008 regarding the decisions of the Central Government relating to grant of Children Education Assistance and Reimbursement of Tuition Fee and to say that the benefit of the said O.M. will also apply to the members of the All India Services.

Yours faithfully

(Harjot Kaur)
Director (Services)

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव–वित्त
चंडीगढ़ प्रशासन

Copy to :

All Ministries/Departments of the Government of India

(Harjot Kaur)
Director (Services)